[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	[illegible] 1131/2022
29.07.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व इससे सम्बन्धित मूल वादपत्र मे दिनाक 02.07.2025 को प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी है। मूल वादपत्र व इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है।
	अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में उभय पक्षकारान् को मूल वादपत्र के निस्तारण तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2132, 2133, 2499, 2500 से 2503, 2509 कुल किता 8 कुल रकबा 3.9000 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	Signature Not Verified Digitally signed by Anil Kumar Date: 2025.08.27 13:02:48 IST Reason: SelfAttested
	(अनिल [illegible]) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)